न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 18 / 2021 / जैसलमेर

अपीलांटस	**रेस्पोडेंटगण**
दीने खां पुत्र श्री शेरेखां जाति मुसलमान निवासी खेजड़ली तहसील भणियाणा जिला जैसलमेर	1. श्रीमती नसीबों पत्नी श्री आसनखां जाति मुसलमान निवासी खेजड़ली तहसील भणियाणा जिला जैसलमेर 2. जानूखां पुत्र श्री शेरेखां 3. रईसखां पुत्र श्री शेरेखा 4. जनी पत्नी श्री शेरेखां जाति मुसलमान निवासीयान खेजड़ली तहसील भणियाणा जिला जैसलमेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर भणियाणा द्वारा राजस्व वाद संख्या 04 / 2017(2019 / 00038) बअनवान नसीबो बनाम दीनेखां वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.07.2021 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री अब्दुल रहमान मेहर अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री सत्यनारायण पुरोहित रेस्पोडेंट संख्या 01 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—02.03.2023

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदाता / वादीनी ने एक वाद माहत अदालत में इस आशय का पेश किया कि मौजा खेजड़ली तहसील भणियाणा के खेत खसरा संख्या 1604 रकबा 195 बीघा वादीनी का खातेदारी व कब्जा काश्त का आया हुआ है जिसे आवास बनाकर जीवन यापन कर रहे है, खसरा संख्या 1604 के दक्षिणी दिशा में खसरा संख्या 1600 / 1 रकबा 185.19 बीघा भूमि आयी हुई है जो प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त मे है, दोनो पक्षों में सेढे व माठ को लेकर विवाद होते रहे है आये दिन के विवाद से हैरान परेशान होकर वादीनी ने प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 128, 129, 111 भू राजस्व अधिनियम 1955 में न्यायालय सहायक कलक्टर पोकरण से पत्थर गढ़ी नेखमबंदी के आदेश दिये गये जिस पर नायब तहसीलदार भणियाणा ने अपीलाधीन आराजी की पैमाईश कर मुस्तकिल बिन्दु कायम किये तथा पत्थरों से पक्के मुकाम लगाये गये, जिस पर प्रतिवादीगण ने पुनः विवाद किया जिस पर उपखण्ड अधिकारी पोकरण ने दिनांक 14.07.2009 को पुनः पैमाईश

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

करने का आदेश दिया, जिस पर अपीलाधीन आराजी की पैमाईश कर चारों कोनों पर पत्थर गढ़वाए गये जिस पर प्रतिवादीगण ने सहमति जाहिर कर मौका फर्द पर हस्ताक्षर किये गये। उसके पश्चात प्रतिवादीगण ने वादीनी की भूमि पर हस्तक्षेप करने की धमकी दी तब हस्तगत वाद पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई सुदृढ साक्ष्य नहीं थी जिससे नेखम/मुटाम/सही होना साबित व प्रमाणित होता हो क्योंकि दिनांक 11.02.2009 का नेखमबंदी कायम नहीं रही, उसकी नेखमबन्दी पर विश्वास व भरोसा कर निर्णय व डिक्री पारित की गई जो न्यायोचित नहीं है। सन 2009 के बाद कई बार पैमाईश की गयी, अलग अलग समय अलग अलग नाप आया सही स्थिति कभी नहीं आयी पक्षकार सहमत नहीं हुए। नेखमबन्दी मिलावट एकतरफा की गयी थी जो मौके पर नही की गयी थी कागजी बनावटी दर्शायी गयी थी नेखमबन्दी तोड़ने हटाने को खेदरे खां ने मुकदमा संख्या 234/2012 किया था बाद तफतीश पुलिस ने अदम वकू झूठा प्रकरण मानकर पत्रावली न्यायालय में पेश की थी जिसे न्यायालय द्वारा एफ आर स्वीकार की गयी है, जिसकी आगे भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अतः अपीलांटस की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

वकील रेस्पोडेंट संख्या 01 ने अपनी बहस करते हुए बताया कि मौजा खेजड़ली तहसील भणियाणा के खेत खसरा संख्या 1604 रकबा 195 बीघा वादीनी का खातेदारी व कब्जा काश्त का आया हुआ है जिसे आवास बनाकर जीवन यापन कर रहे है, खसरा संख्या 1604 के दक्षिणी दिशा में खसरा संख्या 1600/1 रकबा 185.19 बीघा भूमि आयी हुई है जो प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त मे है, दोनो पक्षों में सेढे व माठ को लेकर विवाद होते रहे है आये दिन के विवाद से हैरान परेशान

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

होकर वादीनी ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 128, 129, 111 भू राजस्व अधिनियम 1955 में न्यायालय सहायक कलक्टर पोकरण से पत्थर गढ़ी नेखमबंदी के आदेश दिये गये जिस पर नायब तहसीलदार भणियाणा ने अपीलाधीन आराजी की पैमाईश कर मुस्तकिल बिन्दु कायम किये तथा पत्थरों से पक्के मुकाम लगाये गये, जिस पर प्रतिवादीगण ने पुनः विवाद किया जिस पर उपखण्ड अधिकारी पोकरण ने दिनांक 14.07.2009 को पुनः पैमाईश करने का आदेश दिया, जिस पर अपीलाधीन आराजी की पैमाईश कर चारों कोनों पर पत्थर गढ़वाए गये जिस पर प्रतिवादीगण ने सहमति जाहिर कर मौका फर्द पर हस्ताक्षर किये गये। उसके पश्चात प्रतिवादीगण ने वादीनी की भूमि पर हस्तक्षेप करने की धमकी दी तब हस्तगत वाद पेश किया गया। अपीलांटस को अधीनस्थ न्यायालय हस्तगत वाद में सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की उपस्थिति में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलांटस की अपील को सव्यय खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार उतरदाता/वादीनी अपीलाधीन आराजी की एकमात्र खातेदार काश्तकार है। खातेदारी भूमि का उपयोग एवं उपभोग करने का वादीनी को पूर्ण अधिकार है। सहायक कलक्टर पोकरण के आदेशानुसार निर्णय दिनांक 11.02.2009 की पालना में स्थापित नेखम बिन्दुओं की परिसीमा में अनाधिकृति रूप से किसी पड़ोसी खातेदार को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। तहसीलदार भणियाणा के आदेश दिनांक 08.02.2016 की पालना में गठित टीम द्वारा अपीलाधीन आराजी की पैमाईश की गई तथा कोने कायम किये गये बाद पैमाईश कोने पर पत्थर खातेदार/पुलिस की मौजदूगी में गढवाये गये। उक्त मौका फर्द पर अपीलांटस ने सहमति स्वरूप हस्ताक्षर किये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आराजी की मौका फर्द मंगवाई गई जो दिनांक 10.07.2021 को मौका देखा गया। जिसमें स्पष्ट आया है कि खेत खसर संख्या 1604 रकबा 195 बीघा के दक्षिण सिरे पर घोरा बना हुआ पाया गया एवं प्रार्थीगण का स्पष्ट कब्जा काश्त पाया गया। खेत खसरा संख्या 1604 की पूर्व में की गई पैमाईश एवं पत्थरगढ़ी द्वारा कायम किये गये मुटाम पाये गये। उभयपक्ष के मध्य खसरों की माठ एवं सीमाओं को लेकर विवाद है जिसे निपटाने हेतु पूर्व में भूमि की कई बार पैमाईश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

वादीनी/उतरदाता के खातेदारी अधिकारों के संरक्षण हेतु पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपीलांट द्वारा उतरदाता को नाहक तंग व परेशान करने की नियत से गलत रूप से अपील पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते वक्त उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनी जाकर उनकी उपस्थिति में पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटस की अपील खारिज करने योग्य ठहरती है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई। अपीलांटस की केवल हठधर्मिता के मद्देनजर वादी/रेस्पोडेंटस को मिले खातेदारी अधिकारों से वंचित रखना न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील खारिज योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा मातहत अदालत सहायक कलक्टर भणियाणा द्वारा राजस्व वाद संख्या 04/2017(2019/00038) बअनवान नसीबो बनाम दीनेखां वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.07.2021 को यथावत रखा जाता है।

(प्रियंका पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 02.03.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर